

F.No. A-12018/20/2023-E-III भारत सरकार

Government of India जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg New Delhi, dated: 20 May, 2024.

To The Manager, Government of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064.

Subject: Bilingual e-Publication in Weekly Gazette of India in Part-II, Section-3, Sub-Section (i) of amendment in Recruitment Rules for the Group 'C' posts of Pharmacist, Health Visitor and Laboratory Assistant in Farakka Barrage Project, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation- regarding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a Notification (Both English & Hindi Versions) of Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Pharmacist, Health Visitor and Laboratory Assistant Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2024.

- 2. You are requested to e-publish the aforesaid Notification bilingually in Weekly e-Gazette of India in Part-II, Section-3, Sub-Section (i) at the earliest under intimation to this Department.
- 3. It is certified that the content in the soft and hard copies of the Notification enclosed herewith is the same.
- 4. This issues with the approval of Joint Secretary (Admn), Department of Water Resources, RD & GR.

Yours faithfully,

Encls: As above.

(Raju)

Under Secretary to the Government of India Tel No. 011-23738126

Copy to Under Secretary (e-gov & ID), DoWR, RD&GR with the request to upload the e-gazette notification on the portal. Scanned files of notification are also forwarded on email at egov-mowr@nic.in and mk.kashyap@gov.in.

(Raju)

Under Secretary to the Government of India

[TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION(i)] Government of India

Ministry of Jal Shakti

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Notification

New Delhi, the 20 May, 2024.

GSR...... In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2012, in so far as it relates to the posts of Pharmacist (Entry Grade), Health Visitor, and Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of Health Visitor, Pharmacist, Laboratory Assistant in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Pharmacist, Health Visitor and Laboratory Assistant Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pharmacist.	1* (2024) *Subject to variation		Level-5 (Rs. 29200-	Not applicable.	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

	1		5	Spiti distr Pangi Sub of Chamb	Division
	E H	*	F		Himachal
				Pradesh, a	nd Union
ei .	- "			territories	of
	#2 +1		1 2	Andaman	and
			· =	Nicobar	Islands,
	1 8 m 2 .			Ladakh	and
				Lakshadwe	ер.

.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Section Control of Control	Method of recruitment Whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Diploma in Pharmacy from a recognised institute; (ii) registered with the Pharmacy Council of India; and (iii) three years experience of working as Pharmacist in a recognised hospital.	Not applicable.		By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion, or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
contract): Officers under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institution	considering selection/ confirmation) consisting of:- 1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project –	Not applicable.

- (a) holding analogous post on regular 2. basis in the parent cadre or Fadepartment; and
- **(b)** possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government ordinarily not to exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-terms contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

- Chief Medical Officer,
 Farakka Barrage Project
 Hospital Member;
- 3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation–Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Health	1* (2024)	General	Level-4.	Not	Between 18-27 years.
Visitor.	*Subject	Central	(Rs.	applicable.	(Relaxable for
777	to	Services,	25500-		Government servants
ka a fi N	variation	Group 'C'	81100).		upto the age of 40 years
	dependent	Non-			in the case of general
Maria de la composição de	on	Gazetted,			candidates and up to 45
a 11 👼	workload.	Non-			years in the case of
		Ministerial.			candidates belonging to
			-	b man	the Scheduled Castes or
		1			the Scheduled Tribes in
	11			12:	accordance with the
finde to		2 1 2 2		1 = 1	instructions or
	*			20.00	orders issued by the
	11				Central Government
				7 11 2	from time to time.)
, e	= 8				Note: The crucial date
	8				for determining the age
=	E			W.	limit shall be the closing
					date for receipt of
	1 8	-			applications from
11 M		9 48		1 2	candidates in India and
5/4 8		15			not the closing date
N		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1			prescribed for those
		-			in Assam, Meghalaya,
	5				Arunachal Pradesh,
	1 1 2	I ₁ = − − − − − − − − − − − − − − − − − −	81	8	Mizoram, Manipur,

		E ₂₄	E 201		Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti
			- II	<u> </u>	districts and Pangi Sub
				25	Division of Chamba
			11.0		district of Himachal
		- 1			Pradesh, and the Union
			X		territories of Andaman
1	H 1 5				and Nicobar Islands,
	1				Ladakh and
			= 20 ^{.8}	To a second	Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10+2 in Science with Biology as one of the subject from a recognised board or institute; (ii) Paramedical Diploma or certificate in public health and sanitation technology from a recognised institution.	Not applicable.	for direct	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term	Group 'C' Departmental	Not applicable.
contract): Officers under Central	Promotion Committee (for	
Government or State Governments or	considering selection/	
Union territories or public sector		,
undertakings or Universities or recognized	 Superintending Engineer, 	
research institution or autonomous bodies		
or statutory organisations:	Chairperson;	
(a) holding analogous post on regular basis		9
in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the qualifications and		
experience prescribed for direct recruits		10
A SAN TO BE AND A SAN TO BE AND A SAN TO BE AND A SAN TO BE ASSESSED.	of Jal Shakti, Department of	p p
Note 1: The period of deputation (including		9 E
short-term contract) including the period of		
deputation (including short-term contract)	Rejuvenation – Member.	
in another ex-cadre post held immediately	1	
preceding this appointment in the same or	3 a	8
some other organization or department of	= "	
the Central Government shall ordinarily not		
to exceed three years.		
Note 2: The maximum age-limit for		*
appointment by deputation (including short-		
terms contract) shall be not exceeding fifty-	4 3	
six years as on the closing date of receipt		
of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Laboratory	1* (2024)	General	Level-3.	Not	Between 18-27
Assistant.	*Subject to	Central	(Rs.21700	applicable.	years.
	variation	Services,	-69100).		(Relaxable for
	dependent	Group 'C'			Government servants
	on	Non-			upto the age of 40
	workload.	Gazetted,			years in the case
		Non-			of general candidates
		Ministerial.			and up to 45 years in
				19.0	the case of
		2 0	9		candidates belonging
		" " y H	, II		to the Scheduled
	- F	*			Castes or Scheduled
		6837		1 7	Tribes in accordance
				- 18 14	with the instructions
		77.2			or orders issued by
	gr Sp. Fil		11 1		the Central
			176		Government from
		1	= 1		time to time.
					Note: The crucial
					date for determining
					the age limit shall be
					the closing date for
			L "		receipt of applications
					from candidates in
			5.		India and not the
		n y P			closing date
	A 10		7, 54		prescribed for those
			_		in Assam,
2 11			> 11	os.	Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh
Lu	5.4				Division of Jammu
		E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			and Kashmir State,
	1 - 1	(1)		311 - 27	Lahaul and Spiti
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			191	districts and Pangi
				x 2	Sub Division of
			1		Chamba district of
		8 =	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Himachal Pradesh,
	=]				and the Union
					territories
		- 1	2 E E	11 (11	of Andaman and
			1, =	a de la fina	Nicobar Islands,
1 2 4		* 5 1 ± 1	-		Ladakh and
, se e e e		,			Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
 (i) Degree in Science with Chemistry as one of the subject from a recognised University. (ii) two year experience of working in a Laboratory in a recognised Hospital. 	Not applicable.	for direct	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institution or autonomous bodies or statutory organizations: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-terms contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering selection/confirmation) consisting of:- 1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Chairperson; 2. Medical Officer, Farakka Barrage Project Hospital – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Jal shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/20/2023-E-III]

[Raju, Under Secretary].

[भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

सा.का.िन...... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 जहां तक यह भेषजज्ञ (प्रवेश श्रेणी), स्वास्थ्य आगंतुक और प्रयोगशाला सहायक के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले अधिक्रांत करते हुए किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में स्वास्थ्य आगंतुक, भेषजज्ञ, प्रयोगशाला सहायक के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, भेषजज्ञ, स्वास्थ्य आगंतुक और प्रयोगशाला सहायक ग्रुप 'ग' पद भर्ती नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. **लागू होना** ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वहीं होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक्त अन्सूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति जो;-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, केंद्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की		वेतन	-33	सीधी भर्ती के लिए आयु
	संख्या		मैट्रिक्स में	है या या गैर-	सीमा
15	5		स्तर	चयनित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भेषजज्ञ	1* (2024)	साधारण	स्तर -5	लागू नहीं	आयु 18-27 वर्ष के बीच।
	*कार्यभार	केन्द्रीय सेवा	(29200-	होता।।	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-
	के आधार	समूह "ग"	92300		समय पर जारी अनुदेशों या
	पर	अराजपत्रित,	रूपए)		आदेशों के अनुसार साधारण
	परिवर्तन	अननुसचिवीय	G 2		अभ्यर्थियों के मामले में 40
	किया जा				वर्ष की आयु तक और
	सकता है।	2 - 11 - 2			अनुसूचित जाति या
				l l	अनुसूचित जनजाति के
	20		=:		अभ्यर्थियों के मामले में 45

				वर्ष तक के सरकारी सेवकों
				के लिए शिथिलनीय)
				टिप्पण: अधिकतम आयु
	11 1		12	सीमा अवधारित करने की
			I,	निर्णायक तारीख, भारत में
				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
2 W			2	होने की अंतिम तारीख होगी,
				न की असम, मेघालय,
				अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड,
	1			मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम,
	<u> </u>			हिमाचल प्रदेश के लाहौल,
		r e y		स्पीति जिले तथा चम्बा जिले
		S. 51		के पांगी उप-मंडल और
	** A =	11	-	अंदमान एवं निकोबार द्वीप
		N .	1:	समूह लद्दाख और लक्षद्वीप
	-	9 1	8	के लिए निर्धारित अंतिम
		0	E	तारीख।

सीधी भर्ती किए जाने वाले	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	लिए विहित आयु और	अवधि, यदि	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	शैक्षणिक अर्हताएं	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा
	प्रोन्नति के मामले में		और विभिन्न पद्धतियों से
	लाग् होती हैं	(2)	भरे जाने वाले रिक्तियों का
		6 2	प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा;	X ** =	लिए दो वर्ष।	अनुबंध सहित) द्वारा ऐसा
(ii) भारतीय भेषजज्ञ परिषद के	1 ven 25 v		नहीं होने पर सीधी भर्ती
साथ रजिस्ट्रीकृत; और	7 Hz		द्वारा।
(iii) किसी मान्यता प्राप्त	3 11 3 11 5 1		
अस्पताल में भेषजज्ञ के रूप में			fs fs
काम करने का तीन वर्षों का			
अनुभव।			

प्रोन्नति, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	भर्ती किए जाने
भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिसमें कि	इसकी संरचना है	के लिए किन
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		परिस्थितियों में
जाना है		संघ लोक सेवा
		आयोग से
		परामर्श किया
		जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ	(चयन/पुष्टीकरण पर विचार करने	
राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-	
या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त	1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज	
अनुसंधान संस्थान या स्वायत निकायों या	परियोजना - अध्यक्ष;	
सांविधिक संगठनों के अंतर्गत आने वाले	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फरक्का	
अधिकारी:	बैराज परियोजना अस्पताल - सदस्य;	
(क) मूल काडर या विभाग में नियमित	3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी	v
आधार पर धारित सदृश पद; और	विकास और गंगा संरक्षण विभाग,	- In E
(ख) सीधी भर्ती के स्तंभ (7) के अधीन	जल शक्ति मंत्रालय - सदस्य।	5
विहित अर्हता और अनुभव रखना।	- 1871 - 1871	er e
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक		
संविदा सहित) की अविध जिसके अंतर्गत		
केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या		
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी		2
अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति	#	=
(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि,		
साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं		
होगी।		
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक	*	
संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति की		
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त किए		
जाने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से	2	1 200
अधिक नहीं होगी।		720 °

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्वास्थ्य	1*	साधारण	स्तर-4	लागू नहीं होता।	आयु 18-27 वर्ष के बीच।
आगंतुक	(2024)	केन्द्रीय सेवा,	(25500-		(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-
	*कार्यभार	समूह "ग"	81100	100	समय पर जारी अनुदेशों या
	के आधार	अराजपत्रित,	रूपए)		आदेशों के अनुसार साधारण
	पर	अननुसचिवीय		A.	अभ्यर्थियों के मामले में 40
	परिवर्तन		a		वर्ष की आयु तक और
	किया जा		s	4.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित
	सकता है।				जनजाति के अभ्यर्थियों के
		,	- 840		मामले में 45 वर्ष तक के
					सरकारी कर्मचारियों के लिए
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71 X		शिथिलनीय)
			11 8	-	टिप्पण: अधिकतम आयु सीमा
					अवधारित करने की निर्णायक
		8		= -	तारीख, भारत में अभ्यर्थियों
		n.			से आवेदन प्राप्त होने की
			-		अंतिम तारीख होगी, न की
1 × 1 × 1 ×				E (18)	असम, मेघालय, अरूणाचल
					प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
					त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल
			to Set		प्रदेश के लहौल और स्पीति
					जिले तथा चम्बा जिले के
		D	20		पांगी उप-मंडल, अंदमान एवं
	-				निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख
		8 .			और लक्षद्वीप के लिए
		191		N 11	निर्धारित अंतिम तारीख।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध
या संस्थान से जीव विज्ञान		लिए दो वर्ष	सहित) द्वारा ऐसा नहीं होने पर
के साथ एक विषय के रूप			सीधी भर्ती द्वारा होगी।
में जीव विज्ञान में 10 + 2;			
(ii) किसी मान्यता प्राप्त			

संस्थान	से	पैरामेडिकल
डिप्लोमा	या	सार्वजनिक
स्वास्थ्य	और	स्वच्छता
प्रौद्योगिर्क	ो में प्र	माण पत्र

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य	समिति (चयन/पुष्टिकरण पर	
क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या	विचार करने हेतु) में	
विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान	निम्नलिखित शामिल होंगे:-	2/ #a
संस्थान या स्वायत निकायों या सांविधिक	1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का	
संगठनों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी:	बैराज परियोजना - अध्यक्ष;	41
(क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,	
पर धारित सदृश पद; और	फरक्का बैराज परियोजना	
(ख) सीधी भर्ती के स्तंभ (7) के अधीन विहित	अस्पताल - सदस्य;	
अर्हता और अनुभव रखना।	3. अवर सचिव, जल संसाधन,	
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	नदी विकास और गंगा संरक्षण	
सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय	विभाग, जल शक्ति मंत्रालय -	
सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में	सदस्य।	
इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग	7 = ==	
बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा		4
सहित) की अवधि, साधारणतया तीन वर्षों से		r .
अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा		
सहित) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-		
सीमा आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम		
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	1*	साधारण	स्तर-3	लागू नहीं	आयु 18-27 वर्ष के बीच।
प्रयोगशाला	(2024)	केन्द्रीय सेवा,	(21700-69100	होता।	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-
सहायक	*कार्यभार	समूह "ग",	रूपए)		समय पर जारी अनुदेशों या
2	के आधार	अराजपत्रित,			आदेशों के अनुसार साधारण

पर	अननुसचिवीय			अभ्यर्थियों के मामले में 40
परिवर्तन		27		वर्ष की आयु तक और
किया जा				अनुसूचित जाति य
सकता है।		0		अनुसूचित जनजाति वे
				अभ्यर्थियों के मामले में 45
	* 2			वर्ष तक के सरकारी
	1	9,		कर्मचारियों के लिए
5 1/		17		शिथिलनीय)
				टिप्पण: अधिकतम आयु
				सीमा अवधारित करने की
	Sec.	8		निर्णायक तारीख, भारत में
		n		अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
		10		होने की अंतिम तारीख
=	12.0	a a		होगी, न की असम,
	9		5.	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
		11		नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा,
				सिक्किम, जम्मू एवं
8	0 1823	., "		कश्मीर राज्य का लद्दाख
	n +			मंडल हिमाचल प्रदेश के
	11			लाहौल और स्पीति जिले
				तथा चम्बा जिले के पांगी
81				उप-मंडल, अंदमान एवं
				निकोबार द्वीप समूह,
		11.1		लद्दाख और लक्षद्वीप के
	2 1111	f f		लिए निर्धारित अंतिम
			11 11 11	तारीख।

(7)			(8)			(9)				(10)					
(i)	किसी	मान्यता	प्राप्त	लागू	नहीं	होता।	सीधी	भर्ती	के	लिए	प्रतिनिर	पुक्ति		(अल्पक	ालिक
विश्व	विद्याल	ग्य से	रसायन	37			दो वर्ष	ŤI			अनुबंध	र्सा	हेत)	द्वारा	ऐसा
विज्ञ	ान विष	य के साथ	विज्ञान								नहीं	होने	पर	सीधी	भर्ती
में डि	डेग्री।										द्वारा।				g. 1
(ii)वि	र् भि	मान्यता	प्राप्त												

अस्पताल की प्रयोगशाला में	200 E	
काम करने का दो वर्ष का		
अनुभव।		

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या	समिति (चयन/स्थायीकरण पर	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या	विचार करने हेतु) में	
मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत	निम्नलिखित शामिल होंगे:-	
निकायों या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत आने	1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का	
वाले अधिकारी:	बैराज परियोजना - अध्यक्ष;	
(क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,	
धारित सादृश पद; और	फरक्का बैराज परियोजना	
(ख) सीधी भर्ती के स्तंभ (7) के अधीन विहित	अस्पताल - सदस्य;	
अर्हता और अनुभव रखना।	3. अवर सचिव, जल	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	संसाधन, नदी विकास और	
सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय	गंगा संरक्षण विभाग, जल	
सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस	शक्ति मंत्रालय - सदस्य।	
नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाहय		
पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)		
की अवधि, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं	11 dt 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
होगी।		
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा		
सहित) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा		
आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख को	10 JA	
छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-12018/20/2023-ई-III]

[राज, अवर सचिव]